लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

हिंदी त्रैमासिक ई-पत्रिका

लेखापरीक्षा ज्ञानोदय

तृतीय अंक

(अक्टूबर-दिसंबर, 2019)

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

सी-25, ऑडिट भवन, 8वाँ तल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा(पूर्व), मुंबई - 400 051

फैक्स-02226573814 **ई-मेल** pdcamumbai@cag.gov.in

लेखापरीक्षा ज्ञानोदय परिवार

मुख्य संरक्षक

सुश्री तनुजा मित्तल

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

संरक्षक

डॉ. विशाल चवरे - निदेशक

श्री अविनाश जाधव - उप निदेशक

संपादक-मंडल

सुश्री मीना देशप्रभु	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
सुश्री स्वप्ना फुलपाडिया	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
सुश्री विद्या मुरलीधरन	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
सुश्री कल्पना असगेकर	**पर्यवेक्षक**
श्री आनंद कुमार सिंह	**कनिष्ठ अनुवादक**

(रचनाओं की मौलिकता का पूर्ण उत्तरादायित्व रचनाकारों का है - संपादक-मंडल)

अनुक्रमणिका

संदेश	सुश्री तनुजा मित्तल, प्रधान निदेशक
संदेश	डॉ. विशाल चवरे, निदेशक
संदेश	श्री अविनाश जाधव, उपनिदेशक
इंसान की पहचान हैं एक कागज	
विश्व विरासत स्थल बोधगया	
हमारा समाज और विज्ञापन	
हमारे देश की राजभाषा हिंदी	
महाराष्ट्र : एक परिचय	
हमारा हरियाणा	
राजभाषा संबंधी जानकारी	
सरकार के कार्मिकों के लिए राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रोत्साहन योजनाएं	
पाठकों की जानकारी के लिए कार्यालय ज्ञापन	
पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति	
कार्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम	
आपके पत्र	

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कार्यालय द्वारा तिमाही हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के तृतीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को गति प्रदान करने तथा अपनी राजभाषा के लिए गौरवपूर्ण वातावरण तैयार करने में कार्यालयीन पत्रिकाओं का काफी योगदान होता है।

भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा के रुप में मान्यता प्राप्त हिंदी के प्रति हम सभी का यह दायित्व है कि कार्यालयी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के साथ साथ इसके प्रचार-प्रसार हेतु यथासंभव प्रयास करें। हिंदी का स्वरुप कठिन तथा जटिल तब हो जाता है जब हिंदी में मूल कार्य न करके अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। अतः कार्यालय में अन्य भाषाओं के सहज एवं प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए जिससे यह प्रत्येक व्यक्ति के मन तक अपनी पहुँच बना सके। सभी कार्मिकों को राजभाषा हिंदी के विकास हेतु अपना यथासंभव योगदान देना चाहिए।

अंत में मै उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होनें अपनी रचनाओं के माध्यम से पत्रिका के तृतीय अंक को सफल बनाने में सहयोग किया है। प्राप्त रचनाओं के सुंदर प्रस्तुतीकरण हेतु संपादकीय मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

मुझे आशा है कि हम सभी एक साथ मिलकर पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे।

(तनुजा मित्तल)

प्रधान निदेशक

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संदेश

यह बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यालय द्वारा हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के तृतीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका प्रकाशन के इस सराहनीय कार्य से कार्यालय की राजभाषा के प्रति लगनशीलता की जानकारी होती है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में इस पत्रिका का प्रकाशन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

कार्यालय के इस कार्य की सराहना करते हुए हिंदी के प्रोत्साहन के लिए लगातार ऐसे प्रयास चलते रहें, ऐसी कामना करता हूँ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादकीय मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(विशाल चवरे)

निदेशक/तेल

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संदेश

यह अत्यंत गर्व एवं आनंद का विषय है कि कार्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु त्रैमासिक हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के तृतीय अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। विभागीय पत्रिका के माध्यम से कार्मिकों में राजभाषा हिंदी के लिए रुचि जागृत की जा सकती है। विभागीय पत्रिकाएं कार्मिकों को हिंदी का प्रयोग करने हेतु उत्साहित करती हैं।

मानव अपने भाषा के माध्यम से ही अपने अस्तित्व को प्रदर्शित करता है. भाषा संचार का साधन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रुप मान्यता दी गई। इसलिए भारत सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए। राजभाषा हिंदी के उचित कार्यान्वयन हेतु कार्यालयी कार्य मूल रूप से हिंदी में किया जाना चाहिए।

मैं पत्रिका के मुख्य संरक्षक प्रधान निदेशक महोदया के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन के फलस्वरुप इस पत्रिका को गति मिली है। समस्त रचनाकारों को धन्यवाद तथा संपादकीय मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

इस आशा के साथ पत्रिका का तृतीय अंक आप सभी के लिए प्रस्तुत करता हुं कि इसे पढ़ने के पश्चात अपनी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तथा मार्गदर्शन करेंगे।

(अविनाश जाधव)

उपनिदेशक

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संपादकीय

हमारे कार्यालय की त्रैमासिक हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" का तृतीय अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव हो रहा है। पत्रिका राजभाषा के प्रचार-प्रसार की कड़ी में एक योगदान के रुप में है। रचनाकारों द्वारा भिन्न- भिन्न विषयों पर प्राप्त रचनाओं को पत्रिका में शामिल किया गया है। हिंदी ज्ञान हेतु पाठकों की रूचि के अनुसार कृतियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों से राजभाषा हिंदी के लिए मानसिकता में परिवर्तन आया है। हमें राजभाषा हिंदी को उचित स्थान दिलाने के संबंध में यथासंभव प्रयास करना चाहिए।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु अपने रचनाओं के माध्यम अपना सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए यह आशा है कि पत्रिका के आगामी अंको के लिए आप सभी का सहयोग मिलेगा ।

आप सभी पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि पत्रिका के संबंध में अपने अमूल्य विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें जिससे हमारे उत्साह में वृद्धि हो तथा राजभाषा का उचित विकास हो सके।

आनंद कुमार सिंह

कनिष्ठ अनुवादक

इंसान की पहचान है एक कागज

हैं होती हर इंसान की पहचान एक कागज से,

जीवन की पहली साँस से आखरी साँस तक

हैं बटोरता इंसान अनेक कागज

जो हैं देती उसके वजूद का सबूत कागज ।

इंसान की पहली पहचान का कागज

होती हैं उसके जन्म के प्रमाण पत्र का कागज,

हैं उसको रखना संभाल आखरी साँस तक यह कागज ।

नहीं एक पल भी चैन की साँस बिना यह कागज

हैं मिलता दाखिला स्कूल कॉलेज मे इसी कागज से

करते पूरी पढ़ाई मिलती हैं डिग्री का एक और कागज

हैं जरूरी रखना संभाल उम्र भर यह कागज ।

नहीं कर पाएगा नौकरी की व्यवस्था बिना यह दो कागज

बाटी जाती हैं नौकरी पक्की की मिट्ठाई

हाथ मे हो जब अप्वाइंटमेंट लेटर का कागज ।

हैं रखना संभाल उसे सैलरी स्लिप का कागज

करने जमा इंकम टैक्स का कागज ।

हैं खोलना खाता बैंक मे दिखानी हैं आधार क्रमांक की कागज

हुई ब्याह जुड़ा जोड़े के जीवन में मैरेज सर्टिफिकेट का कागज

हैं देती दोनों के बंधन मे बंध जाने का सबूत यह कागज ।

लिया खरीद एक घर बनाकर अग्रीमेंट का कागज

हैं जाना परदेस बनवानी होगी पासपोर्ट का कागज

जो हैं बनती कर जमा ढेर सारे कागज ।

नहीं दे पाएगा अपने होने का सबूत बिना यह सभी कागज

खो गया कोई कागज बनवानी होंगी एफ़िडेविट का कागज ।

आखिरी साँस पर बनेगी डॉक्टर सर्टिफिकेट का कागज

जो हैं इंसान की इस धरती पर की कहानी की आखरी पन्ने का कागज ।

हैं बहुत जरूरी इंसान के जीवन मे उसके कागज

हैं होती इंसान के होने का वजूद कागज

हैं होती इंसान की पहचान एक कागज से ।

रचनाकार: सुश्री व्ही. सरला

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

विश्व विरासत स्थल बोधगया

बिहार की राजधानी पटना के दक्षिणपूर्व में स्थित बोधगया गया जिले से सटा एक छोटा शहर है। करीब 500 ई॰पू. में गौतम बुद्ध फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे और बोधि पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठे। तीन दिन और रात के तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई । बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को (बचपन का नाम) बोध मिला वह बोधिवृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोधगया।

गौतम बुद्ध (जन्म 563 ईसा पूर्व - निर्वाण 483 ईसा पूर्व) का जन्म लुंबिनी में 563 ईसा पूर्व राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से थीं, जिनका इनके जन्म के सात दिन बाद निधन हो गया। उनका पालन छोटी सगी बहन गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाहोपरांत एक मात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्यागकर संसार को मरण,दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाठ का मोह त्यागकर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया (बिहार) में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए।

इसके बाद उन्होंने वहां 7 हफ्ते अलग अलग जगहों पर ध्यान करते हुए बिताया और फिर सारनाथ जा कर धर्म का प्रचार शुरू किया। बुद्ध के अनुयायियों ने बाद में उस जगह पर जाना शुरू किया जहां बुद्ध ने वैशाख महीने में पुर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की थी। धीरे धीरे यह जगह बोधगया के नाम से जाना गया और यह दिन बुद्ध पुर्णिमा के नाम से जाना गया। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया।

महाबोधि मंदिर- माना जाता है कि महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्त्ति स्वयं बुद्ध से है। जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो इसमें बुद्ध की एक मूर्त्ति स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया था। लेकिन लंबे समय तक किसी ऐसे शिल्पकार को खोजा नहीं जा सका जो बुद्ध की आकर्षक मूर्त्ति बना सके। सहसा एक दिन एक व्यक्ति आया और उसे मूर्त्ति बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन इसके लिए उसने कुछ शर्त्तें भी रखीं। उसकी शर्त्त थी कि उसे पत्थर का एक स्तम्भ तथा एक लैम्प दिया जाए। उसकी एक और शर्त्त यह भी थी इसके लिए उसे छ: महीने का समय दिया जाए तथा समय से पहले कोई मंदिर का दरवाजा न खोले। सभी शर्त्तें मान ली गई लेकिन व्यग्र गांववासियों ने तय समय से चार दिन पहले ही

मंदिर के दरवाजे को खोल दिया। मंदिर के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्त्ति थी जिसका हर अंग आकर्षक था सिवाय छाती के। मूर्त्ति का छाती वाला भाग अभी पूर्ण रूप से तराशा नहीं गया था। कुछ समय बाद एक बौद्ध भिक्षु मंदिर के अंदर रहने लगा। एक बार बुद्ध उसके सपने में आए और बोले कि उन्होंने ही मूर्त्ति का निर्माण किया था। बुद्ध की यह मूर्त्ति बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्त्ति है। नालंदा और विक्रमशिला के मंदिरों में भी इसी मूर्त्ति की प्रतिकृति को स्थापित किया गया है।

बिहार में इसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के ज्ञान की यह भूमि आज बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आज विश्व के हर धर्म के लोग यहां घूमने आते हैं। पक्षियों की चहचहाट के बीच बुद्धम्-शरणम्-गच्छामि की हल्की ध्वनि अनोखी शांति प्रदान करती है। यहां का सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाबोधि मंदिर' है। विभिन्न धर्म तथा सम्प्रदाय के व्यक्ति इस मंदिर में आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। इस मंदिर को यूनेस्को ने 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 250 साल बाद राजा अशोक बोध्गया गए। माना जाता है कि उन्होंने महाबोधि मन्दिर का निर्माण कराया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पहली शताब्दी में इस मन्दिर का निर्माण कराया गया या उसकी मरम्मत कराई गई।

हिन्दुस्तान में बौद्ध धर्म के पतन के साथ साथ इस मन्दिर को लोग भूल गए थे और ये मन्दिर धूल और मिट्टी में दब गया था। 19वीं सदी में Sir Alexander Cunningham ने इस मन्दिर की मरम्मत कराई। 1883 में उन्होंने इस जगह की खुदाई की और काफी मरम्मत के बाद बोधगया को अपने पुराने शानदार अवस्था में लाया गया।

महाबोधि-महावीर-मंदिर समूह- यह मंदिर मुख्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान हे। इस मंदिर में बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति पदमासन की मुद्रा में है। इस मंदिर परिसर में उन सात स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सात सप्ताह व्यतीत किया था। मुख्य मंदिर के पीछे बुद्ध की लाल बलुए पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है। यह मूर्ति विजरासन मुद्रा में है। इस मूर्ति के चारों ओर विभिन्न रंगों के पताके लगे हुए हैं जो इस मूर्ति को एक विशिष्ट आकर्षण प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने हीरों से बना राजसिहांसन लगवाया था और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा था। इस मूर्ति की आगे भूरे बलुए पत्थर पर बुद्ध के विशाल पदचिन्ह बने हुए हैं। बुद्ध के इन पदचिन्हों को धर्मचक्र प्रर्वतन का प्रतीक माना जाता है।

मुख्य मंदिर का उत्तरी भाग चंकामाना नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद तीसरा सप्ताह व्यतीत किया था। अब यहां पर काले पत्थर का कमल का फूल बना हुआ है जो बुद्ध का प्रतीक माना जाता है।

महाबोधि मंदिर के उत्तर पश्चिम भाग में एक छतविहीन भग्नावशेष है जो रत्नाघारा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा सप्ताह व्यतीत किया था। दन्तकथाओं के अनुसार बुद्ध यहां गहन ध्यान में लीन थे कि उनके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश की इन्हीं रंगों का उपयोग विभिन्न देशों द्वारा यहां लगे अपने पताके में किया है।

बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना सांतवा सप्ताह इसी वृक्ष के नीचे व्यतीत किया था। यहीं बुद्ध दो बर्मी (बर्मा का निवासी) व्यापारियों से मिले थे। इन व्यापारियों ने बुद्ध से आश्रय की

प्रार्थना की। इन प्रार्थना के रूप में बुद्धमं शरणम गच्छामि (मैं अपने को भगवान बुद्ध को सौंपता हूँ) का उच्चारण किया। इसी के बाद से यह प्रार्थना प्रसिद्ध हो गई।

तिब्बतियन मठ

महाबोधि मंदिर के पश्चिम में पांच मिनट की पैदल दूरी पर स्थित यह मठ बोधगया का सबसे बड़ा और पुराना मठ है जिसे 1934 ई॰ में बनाया गया था। बर्मी विहार (गया-बोधगया रोड पर निरंजना नदी के तट पर स्थित) 1936 ई॰ में बना था। इस विहार में दो प्रार्थना कक्ष है। इसके अलावा इसमें बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा भी है। इससे सटा हुआ ही थाई मठ है (महाबोधि मंदिर परिसर से 1किलोमीटर पश्चिम में स्थित)। इस मठ के छत की सोने से कलई की गई है। इस कारण इसे गोल्डेन मठ कहा जाता है। इस मठ की स्थापना थाईलैंड के राजपरिवार ने बौद्ध की स्थापना के 2500 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किया था। इन मठों और मंदिरों के अलावा के कुछ और स्मारक भी यहां देखने लायक है। इन्हीं में से एक है भारत की सबसे ऊंचीं बुद्ध मूर्ति जो कि 6 फीट ऊंचे कमल के फूल पर स्थापित है। यह पूरी प्रतिमा एक 10 फीट ऊंचे आधार पर बनी हुई है। स्थानीय लोग इस मूर्ति को 80 फीट ऊंचा मानते हैं।

राजगीर

बोधगया आने वालों को राजगीर भी जरुर घूमना चाहिए। यहां का विश्व शांति स्तूप देखने में काफी आकर्षक है। यह स्तूप ग्रीधरकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। इस पर जाने के लिए रोपवे बना हुआ। शांति स्तूप के निकट ही वेणु वन है। कहा जाता है कि बुद्ध एक बार यहां आए थे।

राजगीर में ही प्रसद्धि सप्तपर्णी गुफा है जहां बुद्ध के निर्वाण के बाद पहला बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह गुफा राजगीर बस पड़ाव से दक्षिण में गर्म जल के कुंड से 1000 सीढियों की चढाई पर है। बस पड़ाव से यहां तक जाने का एक मात्र साधन घोड़ागाड़ी है जिसे यहां टमटम कहा जाता है। इन सबके अलावा राजगीर में जरासंध का अखाड़ा, स्वर्णभंडार (दोनों स्थल महाभारत काल से संबंधित है) तथा विरायतन भी घूमने लायक जगह है। घूमने का सबसे अच्छा समय: ठंढे के मौसम में है।

नालंदा- यह स्थान राजगीर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में यहां विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था। अब इस विश्वविद्यालय के अवशेष ही दिखाई देते हैं। लेकिन हाल में ही बिहार सरकार द्वारा यहां अंतरराष्ट्रीय विश्व विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है जिसका काम प्रगति पर है। यहां एक संग्रहालय भी है। इसी संग्रहालय में यहां से खुदाई में प्राप्त वस्तुओं को रखा गया है। है।

नालंदा से 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल पावापुरी स्थित है। यह स्थल भगवान महावीर से संबंधित है। यहां भगवान महावीर का एक भव्य मंदिर है। नालंदा-राजगीर आने पर इसे जरुर घूमना चाहिए।

नालंदा से ही सटा शहर बिहार शरीफ है। मध्यकाल में इसका नाम ओदन्तपुरी था। वर्तमान में यह स्थान मुस्लिम तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहां मुस्लिमों का एक भव्य मस्जिद बड़ी दरगाह है। बड़ी दरगाह के नजदीक लगने वाला रोशनी मेला मुस्लिम जगत में काफी प्रसिद्ध है। बिहार शरीफ घूमने आने वाले को मनीराम का अखाड़ा भी अवश्य घूमना चाहिए। स्थानीय लोगों का मानना है अगर यहां सच्चे दिल से कोई मन्नत मांगी जाए तो वह जरुर पूरी होती है।

आवागमन

गया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी तथा बिहार शरीफ जाने के लिए सबसे अच्छा साधन ट्रेन है। इन स्थानों को घूमाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा एक विशेष ट्रेन बौद्ध परिक्रमा चलाई जाती है। इस ट्रेन के अलावे कई अन्य ट्रेन जैसे श्रमजीवी एक्सप्रेस, पटना राजगीर इंटरसीटी एक्सप्रेस तथा पटना राजगीर पसेंजर ट्रेन भी जाती है। इसके अलावे सड़क मार्ग द्वारा भी यहां जाया जा सकता है।

हवाई मार्ग

नजदीकी हवाई अड्डा गया (07 किलोमीटर/ 20 मिनट) है।

रेल मार्ग

नजदीकी रेलवे स्टेशन गया जंक्शन है। गया जंक्शन से बोध गया जाने के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा मिल जाता है।

सड़क मार्ग

गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वाराणसी तथा कलकत्ता से बोध गया के लिए बसें चलती है।

सुश्री कविता कुमारी

वैयक्तिक सहायक

हमारा समाज और विज्ञापन

आज का समय विज्ञापनों का है| सभी ओर विज्ञापनों को लोकप्रिय बनाने हेतु यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। बाज़ार में अपने वस्तुओं को अन्य की तुलना में अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने तथा अपेक्षाकृत अच्छा साबित करने तथा अधिक से अधिक समय तक मार्केट में बने रहने के लिए विज्ञापन का प्रयोग एक सशक्त हथियार के रूप में होता है | सभी कंपनियों द्वारा विज्ञापन का प्रयोग करके पाठक अथवा दर्शक के मन को प्रभावित करते हुए सकारात्मक भाव उत्पन्न करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है| किसी भी व्यापार को बढ़ाने के क्षेत्र में विज्ञापन का महत्वपूर्ण योगदान है|

समय के साथ विज्ञापन का दृष्टिकोण भी बढ़ता जा रहा है जिसके फलस्वरुप इसे दो श्रेणियों वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक में विभाजित किया गया है| आज के इस विज्ञापन के दौर में जहाँ कुछ विज्ञापन केवल लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं तो वहीं कुछ सामाजिक जागरुकता एवं भलाई के उद्देश्य से| सभी विज्ञापन उसके समाज को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं जिसके कारण इसका समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है|

विज्ञापन का प्रयोग बहुत समय से चला आ रहा है| वस्तुओं को विज्ञापन के प्रयोग से ही दूर-सुदूर के बाजार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है| विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों का प्रयोग किया जाता है| प्रारंभ में विज्ञापन के तरीके अत्यंत साधारण होते थे पर वर्तमान में इसके स्वरुप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है| आजकल वस्तुवों पर होने वाले निर्माण खर्च से ज्यादा ध्यान तो विज्ञापन पर दिया जाता है| आज का युग विज्ञापन आधारित युग है | आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट, समाचार पत्र, इत्यादि साधनों पर विज्ञापनों की होड़ लगी हुई है| तय मानकों के अनुसार विज्ञापन में निर्धारित विवरण बताना मूल उद्देश्य है किंतु वास्तविकता में बहुत से विज्ञापन हैं जो इसका पालन नहीं करते हैं| विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों से इसका प्रचार-प्रसार कराया जाता है जिनके द्वारा पढ़ने या देखने वाले के उपर इसका प्रभाव पड़े तथा उसका बाजार भी विस्तृत हो| विज्ञापन में प्रदर्शित विभिन्न वस्तुओं के प्रति बच्चों का आकर्षण अधिक होता है जिससे वे एक विशेष वस्तु के प्रति जिद करने लगते हैं जबकि उसके अच्छे होने की कोई गॉरंटी नहीं है|कुछ विज्ञापनों के प्रचार हेतु महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत

किए जाते हैं जो खतरनाक ढंग से प्रदर्शित किए जाते हैं जिसके फलस्वरुप नुकसान हो सकता है|

विज्ञापन एजेंसी समाज को प्रभावित करने के लिए भावनात्मक विज्ञापन का प्रयोग करती है| विभिन्न अवसरों पर अन्य प्रकार खाद्य पदार्थों के इतने विज्ञापन दिखाए जाते है कि परम्परागत मिठाइयों के प्रति लोगों का उत्साह कम हो जाता है| इन विज्ञापनो के कारण समाज पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे इसके आदि हो जाते हैं|सिर्फ कुछ सेकेण्ड के विज्ञापन के लिए करोड़ो रुपए खर्च किए जाते हैं जिसमें गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं होती है| विज्ञापन के अनुसार एक विशेष ब्रांड की मांग की जाती है| विभिन्न प्रकार के रोचक विज्ञापन से सभी बहुत जल्दी परिचित हो जाते है जो मन-मस्तिष्क में हमेशा चलते रहते हैं और बिना गुणवत्ता निर्धारित किए उसका प्रयोग किया जाता है| कई कम्पनियों के द्वारा अपने उत्पाद की शुद्धता का दावा किया जाता है परंतु इनके परीक्षण के संबंध में कोई सामान्य जानकारी नही होती है| विज्ञापनो की इस दुनिया में हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है और इसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं सकता है|

विज्ञापन प्रस्तुतकर्ता को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है| विज्ञापन प्रस्तुत करने से पूर्व उसके समाज पर प्रभाव को भी उचित रुप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए| समाज पर विज्ञापन के प्रभाव को देखते हुए उसके उचित प्रयोग हेतु जागरुक होना चाहिए | विज्ञापन सूचना प्रदान करने के साथ साथ जागरूकता लाने का भी कार्य करते हैं |

अतः विज्ञापनो का प्रयोग अपने निजी लाभ के लिए न करके समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए और इनके उचित प्रयोग से समाज में जागरुकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए|

आनंद कुमार सिंह
कनिष्ठ अनुवादक

हमारे देश की राजभाषा हिंदी

भाषा एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है । भाषा ही वह साधन है जिसकी सहायता से एक दुसरे बातचीत की जाती है तथा एक दुसरे की बात को समझा जा सकता है । भाषा के माध्यम से ही विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। बच्चे द्वारा बचपन में अपने भावों की के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जाता है जो बच्चे को उसके पालक या वातावरण द्वारा प्रदान किया जाता है। धीरे-धीरे बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ साथ भाषा का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। इस तरह भाषा सिखाने का यह काम लगातार चलता रहता है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग-अलग भाषाएं होती हैं जो उन विशिष्ट क्षेत्रों में प्रमुख रुप से बोली जाती हैं। भारत में राज्यों की अपनी अलग-अलग भाषाएं हैं । इस प्रकार भारत एक बहुभाषी देश है । लेकिन प्रत्येक देश की एक विशेष भाषा होती है जिसमें देश का राजकीय कार्य किया जाता है, उसे देश की राजभाषा के रुप में मान्यता प्राप्त होती है । राजभाषा के माध्यम से सरकार एवं सामान्य जन के बीच संपर्क स्थापित होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस प्रकार भारत के राजभाषा के रुप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है जिसके अनुसार कार्यालयी कामकाज राजभाषा में ही किया जाना चाहिए। निर्धारण के समय यह माना गया कि धीरे-धीरे हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी और अंग्रेजी पर हिन्दी का प्रभुत्व होगा। एक लंबा समय समाप्त होने के बाद भी हिन्दी को जो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए वह उसे नहीं मिल सका है । यद्यपि हमारी राजभाषा हिन्दी है, परन्तु हमारे मन पर आज भी विदेशी प्रभाव है। कामकाज करते समय अंग्रेजी का प्रयोग करने की मानसिकता हिंदी को उचित विकास तक पहुंचने से रोकती है। इनमें इस मानसिकता का परित्याग करना चाहिए और हिन्दी का प्रयोग करने में गर्व अनुभव करना चाहिए । हम सरकारी कार्यालय में जहां भी कार्य करते हैं, हमें हिन्दी में ही कार्य करना चाहिए । राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में प्रयास किया जाना चाहिए तथा उन सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए जिससे राजभाषा का विकास संभव हो । आंतरिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाना चाहिए । हिंदी के प्रयोग को विकास की ओर गति प्रदान करने हेतु एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिसमें हिंदी का प्रयोग स्वप्रेरणा से किया जाए और हिंदी को वह उचित स्थान प्राप्त हो सके जिसकी वह अधिकारी है ।

आनंद कुमार सिंह,

कनिष्ठ अनुवादक

महाराष्ट्र : एक परिचय

महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी राज्यों में से सबसे विकासशील राज्यों में से एक है । क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र राज्य की सीमाएँ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई हैं। अरब तट राज्य के पश्चिम में है। लगभग 2 करोड़ की आबादी के साथ मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। नागपुर शहर महाराष्ट्र की उप राजधानी है। मध्यकालीन महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट राजवंश, पश्चिमी चालुक्य, मुग़ल और मराठा शामिल हैं। अरब सागर द्वारा पश्चिम और भारतीय राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दादरा और नागर हवेली को कवर करता है। महाराष्ट्र को फुले-शाहू-अंबेडकर के प्रगतिशील महाराष्ट्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि महाराष्ट्र के पास इन तीन समाज सुधारकों की वैचारिक विरासत है।

नाम की उत्पत्ति :

महाराष्ट्र को ऋग्वेद में "राष्ट्र" कहा गया है। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग और अन्य यात्रियों के अभिलेख अशोक के समय के दौरान "राष्ट्रीय" और बाद में "महान राष्ट्र" के रूप में जाने गए। यह नाम संभवतः प्राकृत में "महाराष्ट्र" शब्द से लिया गया है। महाराष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र का सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास बहुत अलग है, हालांकि राजनीतिक अवधि के अनुसार इतिहास अलग है। जनपद, मगध, मौर्य, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, देवगिरि के यादव, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक, पुर्तगाली, बीजापुर, मुगल, मराठा, हैदराबाद के निजाम, अंग्रेजों आदि के शासकों ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा कर लिया था।

महाराष्ट्र निर्मिति

1954-1955 से महाराष्ट्र के लोगों को दृढ़ता से द्विभाषी मुंबई राज्य के खिलाफ विरोध और डॉ॰ गोपालराव खेडकर के नेतृत्व में संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन किया गया था। महागुजराथ् आंदोलन भी अलग गुजरात राज्य के लिए शुरू किया गया था। गोपालराव खेडकर, एस.एम. जोशी, एस.ए. डांगे, पी.के. अत्रे और अन्य नेताओं को अपनी राजधानी के रूप में मुंबई के साथ महाराष्ट्र का एक अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। 1 मई 1960 को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और 105 मानव का बलिदान आदि से महाराष्ट्र की निर्मिति हुई।

जनसंख्या

महाराष्ट्र की जनसंख्या सन 2011 में 11,23,72,792 थी, विश्व में सिर्फ़ ग्यारह ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या महाराष्ट्र से ज़्यादा है। इस राज्य का निर्माण 1 मई, 1960 को मराठी भाषी लोगों की माँग पर की गयी थी। यहां मराठी भाषा ज्यादा बोली जाती है। मुंबई, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, अंबड -जालना, कोल्हापूर, नाशिक, नागपुर, ठाणे, शिर्डी-अहमदनगर, सोलापुर, अकोला, लातुर, उस्मानाबाद, अमरावती और नांदेड महाराष्ट्र के अन्य मुख्य शहर हैं!

भौगोलिक स्थान

महाराष्ट्र राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम-मध्य की ओर स्थित है। महाराष्ट्र की भूमि स्वाभाविक रूप से सजातीय है और एक बड़ा क्षेत्र (महाराष्ट्र) पठार है। इन पठारों को डेक्कन या दक्कन का पठार कहा जाता है। विभिन्न नदियों द्वारा आच्छादित महाराष्ट्र के पश्चिम में और अरब सागर के समानांतर लगभग 5 मीटर की ऊंचाई के साथ सह्याद्री पर्वत (या पश्चिमी घाट) हैं। गोदावरी, नर्मदा और कृष्णा सहित कई अन्य नदियाँ इन पहाड़ों से निकलती हैं। अरब सागर और सह्याद्री पर्वत के बीच के क्षेत्र को कोंकण कहा जाता है। राज्य के उत्तर में सतपुड़ा और पूर्व में भामरागढ़-चिरोली-गिखुरी पर्वतमाला हैं। राज्य में मौसमी वर्षा होती है। महाराष्ट्र में काली बेसाल्ट मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। महाराष्ट्र राज्य छः विभाग, 36 ज़िलों, 109 उपविभागों, और 357 तालुकाओं में विभाजित हैं।

परिवहन प्रणाली

मुंबई-पुणे के लिए सबसे तेज़ रास्ता इंडियन रेलवे नेटवर्क अत्याधुनिक है और लंबी यात्रा के लिए एक सुविधाजनक तरीका मध्य रेलवे महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों को प्रदान करता है। कोंकण क्षेत्र में, कोंकण रेलवे पश्चिम रेलवे को सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में, मुंबई और

पुणे शहर के मोनोरेल शहर में एक मेट्रो परियोजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन बोर्ड (एसटी) सेवा अधिकांश शहरों और गांवों में उपलब्ध है।

संस्कृति

महाराष्ट्र का लोक संगीत समृद्ध है। गोंद, रोपण, भारद अभंग और पोवाड़ा विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। भारत में प्रमुख साहित्यकारों में से कुछ संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, पु. देशपांडे, पी के अत्रे, वेंकटेश मडगुलकर महाराष्ट्र के लेखक और कवि हैं। दिवाली, रंगपंचमी, गोकुलस्थमी और गणेशोत्सव, होली महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार हैं। गणेशोत्सव सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय त्योहार है जिसे पूरे देश में मनाया जाता है।

महाराष्ट्र में कुछ मंदिर कई सदियों पुराने हैं। मंदिरों पर हिंदू, बौद्ध और जैन संस्कृतियों के मंदिर चिह्नित हैं। औरंगाबाद के पास अजंता और वेरुल की गुफाएँ विश्व प्रसिद्ध हैं। मुगल शैली की एक झलक औरंगाबाद के बीबी का मकबरे में देखी जा सकती है। महाराष्ट्र में कई महल और किले हैं।

इमरान खाटीक

लेखापरीक्षक

हमारा हरियाणा

हरियाणा भारत के उतर में स्थित एक राज्य है और इसकी राजधानी चण्डीगढ़ है। यह पंजाब से अलग हुआ राज्य है और इसका निर्माण 1 नवंबर, 1966 को हुआ था। हरियाणा की सीमा उतर में हिमाचल से और दक्षिण में राज्यस्थान से लगती है। हरियाणा भारत की राजधानी दिल्ली को तीन तरफ से घेरे हुए हैं। हरियाणा के लोग ज्यादातर खेती करते हैं और यहाँ के जवान ज्यादातर सेना में भरती होते हैं। आमतौर पर हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है लेकिन इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। हरियाणा की राजकीय पशु नील गाय है और राजकीय पेड़ पीपल है।

भारत में मुख्य पर्यटक स्थल कुरूक्षेत्र हैं। यहाँ पर मनाए जाने वाले मुख्य त्योहार में होली ,दीवाली, साँझी आदि आते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर कुश्ती या कबड्डी खेलते हैं। हरियाणा में दुध दही को ज्यादा खाया जाता है। हरियाणा का सांस्कृतिक पहनावा पुरूषों के लिए धोती कुर्ता है और औरतों के लिए दामन और कुर्ती है जिसके उपर वह घोटे वाली चुंदड़ी ओड़ती है। हरियाणा में हर तरफ हरियाली देखने को मिलती है। यहाँ के लोग मिल जुलकर रहते हैं। यह एक बहुत ही प्यारा राज्य है। हरियाणा में बहने वाली प्रमुख नदियों में यमुना और घाघर है।

एक कृषि समृद्ध राज्य, हरियाणा केंद्रीय पूल (अधिशेष खाद्य अनाज की एक राष्ट्रीय भंडार प्रणाली) में बड़ी मात्रा में गेहूं और चावल का योगदान करता है। इसके अलावा, राज्य कपास और सरसों के बीज, बाजरा, चम्मच, गन्ना, ज्वारी, मक्का (मक्का), और आलू की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्पादन करता है। डेयरी मवेशी, भैंस, और बैल, जो भूमि को खेती करने और मसौदे जानवरों के रूप में उपयोग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रमुख हैं।

हरियाणा की मिट्टी आमतौर पर गहरी और उपजाऊ होती है। कुछ अपवाद हैं, हालांकि, पहाड़ी पूर्वोत्तर और दक्षिणपश्चिमी के रेतीले इलाकों की खराब भूमियां शामिल हैं जो राजस्थान के थार (ग्रेट इंडियन) रेगिस्तान को फैंकती हैं। अधिकांश राज्य की भूमि कृषि है, लेकिन सिंचाई की आवश्यकता है।

राज्य के विकास कार्यक्रम में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है, और सरकार और निजी संगठनों ने सभी स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, जबकि हजारों प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों ने यह सुनिश्चित किया है कि पूरे राज्य में बुनियादी शिक्षा उपलब्ध है, अधिकांश जनसंख्या-विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं 21 वीं शताब्दी की शुरुआत में पढ़ने में असमर्थ रहीं। इस प्रवृत्ति को दूर करने के प्रयास में, राज्य ने सभी प्रकार की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से छात्रों को सहायता प्रदान करना जारी रखा है।

हरियाणा राज्य में बेटियों के लिंगअनुपात को बढावा देने के साथ कन्या भ्रूण कम किया जा रहा हैं। साथ बेटियों को भी पढाई और खेलने की भी आजादी पिछले कुछ वर्षों मे दी गई हैं। हमारी छोरियाँ पिछले कुछ वर्षों में खेलों में बहुत अच्छा खेली है। जैसे कुश्ती मे गीता फौगाट, बबीता फौगाट साक्षी मलिक जैसी खिलाडियों ने अंतराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल व अन्य मेंडल जीतें हैं। केवल कुश्ती में ही नही बल्कि 2017 में हरियाणा की मायुषी छिल्लर मिस वल्ड् के खिताब भी जीता था। इसके साथ-साथ हमारे हरियाणा मनोरंजन में भी काफी मशूहर जैसे हरियाँणवी गीत, रागँनी, नाटक, साँग इत्यादि।

हरीश कुमार

आंकडा प्रविष्टि प्रचालक

राजभाषा संबंधी जानकारी

संविधान का अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा--

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

संविधान का अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश--

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) के अनुसार हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाने वाले दस्तावेज --

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (3)3 के अंतर्गत अनिवार्य रुप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागज़ात

1- सामान्य आदेश (General Orders)

2 -संकल्प(Resolution)

3- परिपत्र(Circulars)

4-नियम(Rules)

5- प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन (Administrative or other reports)

6- प्रेस विज्ञप्तियां (Press Release/Communiques)

7- संविदाएं(Contracts)

8- करार(Agreements)

9- अनुज्ञप्तियां(Licenses)

10- निविदा प्रारुप (Tender Forms)

11- अनुज्ञा पत्र (Permits)

12- निविदा सूचनाएं (Tender Notices)

13- अधिसूचनाएं(Notifications)

14- संसद के समक्ष् रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज़ पत्र (Reports and documents to be laid before the Parliament)

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

'क्षेत्र ग' से उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

नियम-5 : हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर--

हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे ।

नियम-6 हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

नियम 9 : हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली

है या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में

हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

नियम 10 : हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

यदि किसी कर्मचारी ने-

मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

नियम 11 : मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

=> केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

=> केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

=> केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

नियम 12 : अनुपालन का उत्तरदायित्व-

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--

यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है औरइस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।

सरकार के कार्मिकों के लिए राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रोत्साहन योजनाएं

हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उतीर्ण करने पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि प्रोत्साहन

1- **वैयक्तिक वेतन-** हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(क) प्रबोध परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण करते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाता है।

[का0ज्ञा0 सं0-12014/2/76-रा0भा0 (डी.) दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(3)]

(ख) प्रवीण परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रवीण पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है-

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं012014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(2)]

(ग) प्राज्ञ परीक्षा- वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों (राजपत्रित /अराजपत्रित) को प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाता है जिनके लिए यह पाठयक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित किया गया है।

(1) अराजपत्रित कर्मचारियों को उत्तीर्णांक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(2) राजपत्रित अधिकारियों को 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

[(का0ज्ञा0सं0- 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(1)

तथा का0ज्ञा0सं0- 12014/1/78-रा०भा०(डी.) दिनांक 14.2.1979)]

(घ) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण- हिंदी शब्द संसाधन / हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

[(का0ज्ञा0सं0 12014/2/76-रा0भा0(डी.)/दिनांक 2.9.1976–पैरा 1(4)]

तथा (का0ज्ञा0सं0-12016/2/78-रा0भा0(डी.) दिनांक 10.1.1979 क्रमसंख्या-92)

(ङ) हिंदी आशुलिपि- (i) अराजपत्रित हिंदी भाषी आशुलिपिकों को 70 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि, जो आगामी वेतन वृद्धि में मिला दी जाती है, के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(ii) राजपत्रित आशुलिपिकों को 75 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

जिन आशुलिपिकों (राजपत्रित एव अराजपत्रित दोनों) की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। ये वेतन वृद्धियां भावी वेतन वृद्धियों में मिलाई जाएँगी। ऐसे कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतन वृद्धियों के बराबर और दूसरे वर्ष पहली वेतन वृद्धि को मिला दिए जाने पर केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकते हैं।

[का0ज्ञा0सं0-12014/2/76/रा0भा0(डी.) दिनांक 2.09.1976)

(का0ज्ञा0सं0-21034/08/2017/रा0भा0(प्रशि) दिनांक 26.07.2017]

टिप्पणी: जिस कर्मचारी को सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण से छूट मिली हुई हो उस कर्मचारी को संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/ प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे।

2- **नकद पुरस्कार-** हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रता के अनुसार निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं-

(1) प्रबोध

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया 1600/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 800/-

3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 400/-

(2) प्रवीण

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया 1800/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 1200/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 600/-

(3) प्राज्ञ

1. 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया 2400/-
2. 60 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 1600/-
3. 55 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 800/-

(4) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1. 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया 2400/-
2. 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 1600/-
3. 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 800/-

(5) हिंदी आशुलिपि

1. 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपया 2400/-
2. 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 1600/-
3. 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपया 800/-

(6) निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदीभाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर एकमुश्त पुरस्कार

1. हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा रुपया 1600/-
2. हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा रुपया 1500/-
3. हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा रुपया 2400/-
4. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा रुपया 1600/-
5. हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा रुपया 3000/-

(का0ज्ञा0सं0- 21034/66/10-रा0भा0 (प्रशि) दिनांक 29.7.2011)

टिप्पणी:

1. जिन कर्मचारियों को हिंदी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है उन्हें संबंधित स्तर की हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद एवं एकमुश्त पुरस्कार देय नहीं होंगे।

2. एकमुश्त पुरस्कार प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहाँ हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं अथवा जहाँ संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

3. जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से पाँच प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

(का0ज्ञा0सं0- 21034/66/2010/रा0भा0(प्रशि0). दिनांक 29.07.2011)

3- अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के प्रोत्साहन भत्ता

अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी काम-काज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टंककों के प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह क्रमशः: 240/- रूपये व 160/- देने का प्रावधान है|

(आदेश सं. 13034/12/2009-रा. भा.(नीति)

4- सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना

सरकारी काम मूल रूप से हिंदी में करने के लिए पुरस्कार राशि निम्न प्रकार है-

केंद्र सरकार के प्रत्येक मत्रालय/विभाग/संम्बंध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक 5000/-रुपये

दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक 3000/-रुपये

तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक 2000/-रुपये

(का.ज्ञा.सं. 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दिनांक 14 सितंबर, 2016)

योजना के लिए मुख्य मार्गदर्शी निम्नानुसार हैं:-

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबंध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारीयों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं|

सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिंदी में करते हैं|

केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा 'ग' क्षेत्र में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिंदी में लिखें| इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के आलावा हिंदी में किये गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किये जायेगें|

आशुलिपि/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अतर्गत आते हैं इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे|

हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक सामान्यतः अपना काम हिंदी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे|

(क) मूल्याकंन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जायेंगे| इनमें से 70 अंक हिंदी में किये गए काम की मात्रा के लिए रखे जायेंगे और 30 प्रतिशत अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे|
(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत अंको का लाभ दिया जायेगा| ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा| ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं|

सेवानिवृत्ति

अक्टूबर-दिसंबर, 2019 के दौरान सेवानिवृत्ति

सुश्री एस.एम. बापट, पर्यवेक्षक

श्री रमेश बी. भोसले, वरिष्ठ लेखापरीक्षक

श्री वी. बहेलिया, स्टॉफ कार चालक

दीपावली के अवसर पर मनोरंजन क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता

कार्यालय के कर्मचारी श्री आकाश गुप्ता, लिपिक(खेल वर्ग) द्वारा उत्तराखंड स्टेट टेबल टेनिस चैम्पियनशीप में पदक प्राप्त किया गया।

हिंदी - हमारी राज भाषा

मैं उन लोगों में से हूं, जो
चाहते हैं और जिनका
विचार है कि हिंदी ही भारत
की राष्ट्रभाषा हो सकती है

-लोकमान्य
बाल गंगाधर तिलक

आपके पत्र

पत्रिका के पूर्व अंक के संबंध में निम्नलिखित कार्यालयों से पत्र प्राप्त हुए हैं:

कार्यालय प्रधान महालेखाकार(सामान्य एवं सामाजिक लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के प्रथम एवं द्वितीय अंक की सॉफ्ट प्रति प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद । मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि आपके कार्यालय द्वारा हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किए जाने से राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में एक और कड़ी जुड़ गई है और यह वास्तव में गौरव का विषय है कि प्रत्येक कार्यालय द्वारा हिंदी के उत्थान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। पत्रिकाओं में समाहित सभी रचनाएं पठनीय , ज्ञानवर्धक एवं सराहनीय है। पत्रिका का मुद्रण उच्च कोटि का है एवं इनके भीतर के छायाचित्रों ने इन्हे और भी आकर्षक बना दिया है।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/राजभाषा अनुभाग

महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.लेप.) का कार्यालय, ओड़िशा, भुवनेश्वर

आपके कार्यालय की पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के प्रथम एवं द्वितीय अंक की प्राप्ति हुई, एतदर्थ धन्यवाद। यह अत्यंत ही हर्ष की बात है कि आपके कार्यालय द्वारा हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किए जाने से राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में एक और कड़ी जुड़ गई है। यह सच में गौरव का विषय है कि कार्यालय के सदस्यों द्वारा हिंदी के उत्थान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। पत्रिका के दोनों अंक विभिन्न विषयों को समाहित किए हुए हैं। पत्रिका में समाविष्ट समस्त रचनाएं ज्ञानवर्धक एवं संग्रहणीय है। विशेषकर मातृभाषा, मुस्कुराहट: जीवन का एक हसीन सार, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व- सीएसआर एवं महिला सशक्तिकरण विचार प्रधान, प्रेरक एवं उपयोगी हैं। इसमें समाहित समस्त लेख उच्च कोटि के हैं एवं ज्ञानवर्धक हैं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/हिंदी

सबको करती एक समान,
हिंदी भाषा बड़ी महान।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली

आपके कार्यालय से प्रकाशित "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के प्रथम अंक की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका में संग्रहित सभी रचनाएं सरल एवं ज्ञानवर्धक हैं। श्री पंकज कुमार की "दर्द", श्री संजय आर कोटलगी की "मुस्कुराहट: जीवन का एक हसीन सार" और श्री आनंद कुमार सिंह की "राजभाषा संबंधी जानकारी" काफी सराहनीय है। पत्रिका में संग्रहीत सभी रचनाएं राजभाषा को बढ़ावा देने हेतु उपयोगी हैं। लेखापरीक्षा ज्ञानोदय निरंतर प्रकाशित होती रहे ये हमारी शुभकामनाएं हैं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजभाषा

आपके कार्यालय से प्रकाशित "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के द्वीतीय अंक की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका में संग्रहित सभी रचनाएं सरल एवं ज्ञानवर्धक है। श्री सरोज प्रजापति एवं संजय आर कोटलगी की "नीलगिरी पर्वतमाला ट्रेकिंग अभियान", श्री हरीश कुमार की "महिला सशक्तिकरण" और श्री रुपेश कुमार की की "गणेशोत्सव" काफी सराहनीय है। पत्रिका में संग्रहीत सभी रचनाएं राजभाषा को बढ़ावा देने हेतु उपयोगी हैं। लेखापरीक्षा ज्ञानोदय निरंतर प्रकाशित होती रहे ये हमारी शुभकामनाएं हैं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजभाषा

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी)- प्रथम उ.प्र. , इलाहाबाद

आपके द्वारा प्रेषित हिंदी पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के प्रथम एवं द्वितीय अंक की एक-एक प्रतियाँ प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद।

प्रथम संस्करण में संकलित सभी लेख एवं रचनाएं अत्यंत सरस एवं पठनीय हैं तथा रचनाओं का प्रस्तुतीकरण भी मोहक है। संकलित रचनाओं में सुश्री कल्याणी वेदपाठक का लेख "गुढीपाडवा", श्री पंकज कुमार का लेख "दर्द", सुश्री अक्षता पावडे का लेख "सिजोफ्रेनिया", श्री सरोज प्रजापति की कविता "एहसास" एवं श्री रुपेश कुमार की कविता "ये जरुरी तो नहीं" उल्लेखनीय एवं रोचक है।

द्वितीय संस्करण में संकलित सभी रचनाएं रोचक हैं। विभिन्न कार्यालयीन गतिविधियों से संबंधित छायाचित्रों का प्रस्तुतीकरण भी प्रशंसनीय है। संकलित रचनाओं में सुश्री व्ही. सरला का लेख "निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व-सीएसआर", श्री आनंद कुमार सिंह का लेख "हिंदी भाषा", श्री हरीश कुमार का लेख "महिला सशक्तिकरण" एवं श्री रुपेश कुमार का लेख "गणेशोत्सव" सराहनीय एवं उत्कृष्ट है।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/हिंदी

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- II, महाराष्ट्र , नागपुर

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के प्रथम एवं द्वितीय अंक की एक-एक प्रतियाँ प्राप्त हुई, सहर्ष धन्यवाद। विशेषकर गृह पत्रिक "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के प्रथम अंक में सुश्री कल्याणी वेदपाठक की रचना "गुढीपाडवा", सुश्री कविता कुमारी की रचना "सुर्योपासना का पर्व छठ पूजा", श्री इमरान खाटीक की रचना "ईद का इस्लाम में क्या है महत्व " तथा श्री रुपेश कुमार की रचना "ये जरुरी तो नहीं" काफी सुंदर है। गृह पत्रिका के द्वितीय अंक में श्री सरोज प्रजापति तथा श्री संजय कोटलगी की रचना "नीलगिरी पर्वतमाला ट्रेकिंग अभियान" तथा लेख "मुंबई का इतिहास" आदि उल्लेखनीय हैं।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/हिंदी

आप सभी से प्राप्त बधाई एवं शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पत्रों के माध्यम से पत्रिका के संबंध में आपकी प्रतिक्रियाएंक प्राप्त हुई, तदर्थ धन्यवाद। आपके प्रतिक्रियाओं से हमारे आगामी अंको हेतु मार्गदर्शन होता है तथा पत्रिका को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उत्साह का संचार होता है। हमारे छोटे से प्रयास की सराहना के लिए आप सभी का धन्यवाद तथा हम यह आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा और हम सभी एक साथ मिलकर राजभाषा हिंदी के विकास में अपना योगदान देंगे।

अतः आप सभी पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका को पढ़ने के पश्चात अपने विचार हमें प्रेषित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

तिमाही के दौरान आयोजित हिंदी कार्यशाला

तिमाही के दौरान हिंदी कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया जिसमें नामित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पूरे उत्साह के साथ भाग लिया गया था।

राजभाषा हिंदी के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%

13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें		
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	